तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/4460/2003/पाली** **गजाराम बनाम चमनाराम व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22.2.18	**एकलपीठ** **श्री चिरंजीलाल दायमा,सदस्य** **उपस्थितः–** श्री दुर्गेश्वर शर्मा अभिभाषक प्रार्थी श्री तेजेन्द्र सिंह, अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1 अप्रार्थी संख्या 2 से 4 के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई । निर्णय यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 230 के तहत उपखण्ड अधिकारी, बाली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 6–8–2003 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है । प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थी/प्रतिवादी के विरूद्व प्रार्थी/वादी ने एक राजस्व वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाली के यहां ग्राम मौकमपुरा में स्थित आराजी खसरा नंबर 253 रकबा 0.70 हेक्टेयर, 251 रकबा 0.37 हेक्टेयर एवं 394/1 रकबा 0.08 हेक्टेयर के बाबत प्रस्तुत किया, जो अभी विचाराधीन है । विचारण न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 6–8–2003 के द्वारा वादी की शहादत बंद करने का आदेश पारित किया । उक्त निर्णय से व्यथित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। विचारण न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 6–8–2003 में यह माना है कि वकील वादी एवं प्रतिवादी उपस्थित । वादी के गवाहान भूरसिह व चन्दनसिंह चुन्नीलाल व भूराराम उपस्थित । वकील प्रतिवादी ने आपत्ति की कि पूर्व आदेश दिनांक	

Board of Revenue For Rajasthan Ajmer
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/4460/2003/पाली** **गजाराम बनाम चमनाराम व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	13–5–2003 को वादी के शहादत के अवसर समाप्त किया जा चुका था उसके उपरान्त न्यायहित में वकील वादी को शहादत के लिए एक मौका इस निर्देश के साथ दिया गया था कि आगामी तिथि को वह समस्त गवाहान को उपस्थित रखे एवं आगामी नियत तिथि 9–6–203 को मात्र दो गवाह चुन्नीलाल व भूराराम उपस्थित थे तथा पीठासीन अधिकारी के प्रधान पद के चुनाव में व्यस्त होने से नियत तिथि दिनांक 6–8–2003 नियत की गई थी । दोनों गवाहों के अलावा चन्दनसिंह व भूरसिंह भी हाजिर है जिनकी शहादत नहीं ली जा सकती है । वकील वादी ने आपत्ति कर उत्तर देते हुए निवेदन किया कि नियत तिथि 9–6–2003 को पीठासीन अधिकारी के न्यायालय में आसीन नहीं होने के कारण उक्त तिथि को प्रभावी न्यायालय कार्यवाही नहीं हुंई थी जिससे आज प्रभावी कार्यवाही मानी जाकर वादी के उपस्थित चारों गवाहान के बयान लिए जाने का निवेदन किया । विचारण न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनकर यह माना है कि पूर्व आदेश दिनांक 13–5–2003 को वादी के शहादत समाप्त कर दी गई थी उसके उपरान्त न्यायहित में वादी के अधिवक्ता को एक मौका इस निर्देश के साथ दिया गया था कि आगामी तिथि को वह समस्त गवाहान को उपस्थित रखे एवं आगामी नियत तिथि 9–6–203 को मात्र दो गवाह वादी के उपस्थित थे ऐसी स्थिति में आज हाजिर समस्त गवाहों की शहादत रेकार्ड पर लिया जाना उचित नहीं समझते हैं । अतः पूर्व आदेशानुसार हाजिर गवाह चुन्नीलाल व भूराराम के बयान लेने के आदेश दिए गए । इस आदेश की पालना में वादी के गवाह के बतौर पीडब्ल्यू–2 चुन्नीलाल पुत्र देवाजी के बयान लिए अन्य गवाह भूराराम के बयान अधिवक्ता वादी श्री शब्दराज भण्डारी द्वारा नहीं कराना चाहने से इस स्टेज पर शहादत वादी बंद की गई । उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस निगरानी पर सुनी गई ।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/4460/2003/पाली** **गजाराम बनाम चमनाराम व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि पूर्व में वाद में नियत दिनांक 9–6–2003 को पीठासीन अधिकारी के न्यायालय में आसीन नहीं होने के कारण उक्त तिथि को कार्यवाही नही हुई थी जिससे आगामी पेशी दिनांक 6–8–2003 नियत की गई थी उस दिन वादीगण की ओर से 4 गवाह बयान देने के लिए उपस्थित हुए थे किन्तु विचारण न्यायालय ने वादी के गवाहों के बयान नहीं लेकर सरसरी तौर पर वादी की शहादत बंद करने का आदेश पारित कर त्रुटि की है । वादी के गवाहान नियत दिनांक को अदालत तहत में उपस्थित थे किन्तु वादीगण ने वादी के गवाहों के बयान नहीं लेकर सिर्फ आदेश में यह लिख दिया कि वादी के वकील गवाह भूराराम के बयान नहीं करना चाहते हैं जब कि वादी गवाहों को बयान के लिए ही लेकर के आया था । वाद को साबित करने के लिए वादी की शहादत लिया जाना आवश्यक है शहादत के अभाव में दावा को साबित नहीं कर पायेगा जिससे उसके साथ अन्याय होगा । अदालत तहत ने वादी को शहादत प्रस्तुत करने के लिए प्रतिवादी को क्षतिपूर्ति दिलाकर भी एक अंतिम अवसर दे सकते थे किन्तु ऐसा नहीं कर जो निर्णय पारित किया है वह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है । उनका कथन है कि दिनांक 13–5–2003 को दिनांक 9–6–2003 की पेशी नियत की गई थी किन्तु इस तारीख को पीठासीन अधिकारी के चुनावी कार्य में व्यस्त होने के कारण कार्यवाही नहीं हो सकी । दिनांक 6–8–2003 को चारों गवाहान की शहादत ली जा सकती थी । दिनांक 9–6–2003 में गवाह तो उपस्थित हो गए थे किन्तु पीठासीन अधिकारी के चुनावी कार्य में व्यस्त होने के कारण साक्ष्य नहीं हो पाई थी । न्याय हित में सभी को साक्ष्य का अवसर मिलना चाहिए। इसी स्तर पर तारीख नियत करके विचारण न्यायालय को भेजी जावे ।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/4460/2003/पाली** **गजाराम बनाम चमनाराम व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अतः निगरानी स्वीकार की जावे । अप्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने बताया कि पूर्व में कई बार अवसर दिए गए थे । अंतिम अवसर भी दिया चुका था । दिनांक 9–6–2003 को जो गवाह उपस्थित आए थे । उनके बयान लिए गए थे जो गवाह दिनांक 9–6–2003 को उपस्थित ही नहीं थे उनके बयान नहीं लिए गए । ऐसी स्थिति में इस निगरानी में प्रभावी कार्यवाही शेष नहीं रहती है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत है । प्रतिउत्तर में प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि कॉस्ट लगाकर उन्हें साक्ष्य का अवसर दिया जाना न्याय हित में उचित रहेगा । हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि दिनांक 6–8–2003 को 4 गवाह चन्दनसिंह, भूरासिंह, चुन्नीलाल, भूराराम आदि के आदेशिका में हस्ताक्षर किए गए है जिससे यही माना जा सकता है कि ये लोग निश्चित रूप से गवाही देने के लिए उपस्थित हुए है । प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है कि पक्षकारों को साक्ष्य व सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया जाना चाहिए जिससे पक्षकार का न्याय मिल सके । जब पीठासीन अधिकारी दिनांक 9–6–2003 को चुनावी कार्य में व्यस्त थे और उस दिनांक को चुन्नीलाल व भूराराम उपस्थित थे एवं अन्य दो गवाह दिनांक 6–8–2003 को उपस्थित हो गए तो न्यायालय को उदार रूख अपनाते हुए उन्हें गवाहों की साक्ष्य ली जानी चाहिए किन्तु दूसरे पक्ष को भी अनावश्यक रूप से मण्डल में निगरानी के संबंध में उपस्थित होना पडा है जिससे उन्हें	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/4460/2003/पाली** **गजाराम बनाम चमनाराम व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	क्षतिपूर्ति कराया जाना आवश्यक है । उपरोक्त विवेचन के परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी को 3000/– रूपये की कॉस्ट पर स्वीकार किया जाकर प्रार्थी को शेष गवाहान की साक्ष्य करवाये जाने का आदेश दिया जाता है । कॉस्ट की राशि प्रार्थी विचारण न्यायालय में अप्रार्थी को अदा करे । उभय पक्षकारान न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाली के समक्ष दिनांक 12–3–2018 को उपस्थित होंवे । अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड लौटाया जावे । निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । पत्रावली बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो । (चिरंजी लाल दायमा) सदस्य	